राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF RURAL
DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
Ministry of Rural Development, Government of India
www.nirdpr.org.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रगति
समाचार पत्र



भारत में पेशेवर कर:
स्थानीय राजकोषीय क्षमता को सुदृढ़ बनाना

अंक 376 सितंबर 2026

इस अंक में.....

आवरण कहानी: भारत में पेशेवर कर: स्थानीय राजकोषीय क्षमता को सुदृढ़ बनाना -3

1. वीबी-जी आरएएम जी के अंतर्गत अनुमन्य कार्यों के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम - 7
2. एनआईआरडीपीआर द्वारा सिक्किम के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-सह-राइटशॉप का आयोजन - 8
3. आरपीएल के माध्यम से प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना -9
4. ग्रामीण पर्यटन एवं होमस्टे के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना -10
5. प्रभावी जमीनी स्तर के शासन हेतु जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ बनाना -11
6. एनआईआरडीपीआर द्वारा कर्नाटक में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन -12
7. समावेशी एवं बाल-अनुकूल पंचायतों को सुदृढ़ बनाने हेतु एनआईआरडीपीआर और बीएआईएफ के बीच तीन वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर - 13
8. एक पहल, 51 रक्तदाता: एनआईआरडीपीआर में जीवनदान की एक प्रेरणादायक पहल -14
9. सामुदायिक नेतृत्व वाली जवाबदेही को सुदृढ़ बनाना: असम में उन्नत लेखापरीक्षा प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रगति - 16
10. एनआरएलएम-आरसी के अधिकारियों ने श्रीनगर में आयोजित सहायक पर्यवेक्षण रूपरेखा पर क्षेत्र-3 की राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया - 18
11. **छात्र मंच:** महुआ—भारत की छिपी हुई वन-आधारित अर्थव्यवस्था - 20
12. प्रशिक्षण कक्ष से आगे: भारत की ग्राम पंचायतों की क्षमता का पुनर्निर्माण - 23

भारत में पेशेवर कर: स्थानीय राजकोषीय क्षमता को सुदृढ़ बनाना

श्री किरण थेते, पीएच.डी.
सहायक प्रोफेसर
पंचायत वित्त केंद्र
एसओईपीआर, एनआईआरडीपीआर
kirant@nirdpr.org.in

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), पंचायतों को स्थानीय शासन की आत्मनिर्भर संस्थाओं के रूप में सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नीतिगत मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के माध्यम से मंत्रालय पंचायतों को विकास संबंधी पहलों की बेहतर योजना बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा उनकी निगरानी करने में सक्षम बना रहा है, ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इन प्रयासों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), सबकी योजना–सबका विकास तथा प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें जैसे मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाना, सहभागी नियोजन को बढ़ावा देना तथा पंचायतों के नेतृत्व और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप रैंकिंग, पुरस्कारों, वृत्तचित्रों और परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। ये पहल एक जीवंत आंदोलन के रूप में विकसित हुई हैं, जिससे स्थानीय स्वशासन की क्षमता का उपयोग हो रहा है। हालाँकि, अपार संभावनाओं वाले कुछ नीतिगत क्षेत्र अभी भी अछूते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण व्यावसायिक कर है, जिसमें 1988 से कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण राजस्व की पर्याप्त संभावनाओं का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

नीचे दिए गए लेख में मैं व्यावसायिक कर से संबंधित रूपरेखा, चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करूँगा।

परिचय

व्यावसायिक कर राज्य स्तर पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, जो व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगार में संलग्न व्यक्तियों पर लगाया जाता है।

यह व्यापक रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों, डॉक्टरों, वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे स्व-नियोजित पेशेवरों, व्यापारियों और व्यवसाय के मालिकों तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पेशेवरों, परामर्शदाताओं और ठेकेदारों पर लागू होता है।

आयकर केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की आय या कमाई पर लगाया जाता है। दूसरी ओर, व्यावसायिक कर किसी व्यक्ति के कार्य और पेशे पर लगाया जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा देश के कानूनों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपना पेशा करने के लिए प्रदान किए गए अधिकार के एवज में शुल्क के रूप में लगाया जाता है।

व्यवहार में, नियोक्ता आमतौर पर प्रत्येक माह कर्मचारियों के वेतन से इस कर की कटौती करते हैं और इसे निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के पास जमा करते हैं। स्व-नियोजित व्यक्ति को राज्य के मानदंडों के अनुसार पंजीकरण कराना और संबंधित प्राधिकरण को सीधे व्यावसायिक कर का भुगतान करना होता है। वर्तमान में, 20 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश (पुदुचेरी) व्यावसायिक कर लगाते हैं और ये सभी प्रति वर्ष 2,500 रुपये की सीमा का पालन करते हैं। आठ राज्यों–अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड–में व्यावसायिक कर नहीं लगाया जाता है।

पंचायतों को व्यावसायिक कर सीधे एकत्र करने या राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए राजस्व में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार देने का प्रावधान है। हालाँकि, अधिकांश राज्य पंचायतों को यह अधिकार सौंपने और उन्हें राजस्व में हिस्सा प्रदान करने में विफल रहते हैं। इसलिए, व्यावसायिक कर मुख्यतः राज्य-स्तरीय या शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) के कर के रूप में उभरा है। केरल, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसके अपवाद देखने को मिलते हैं।

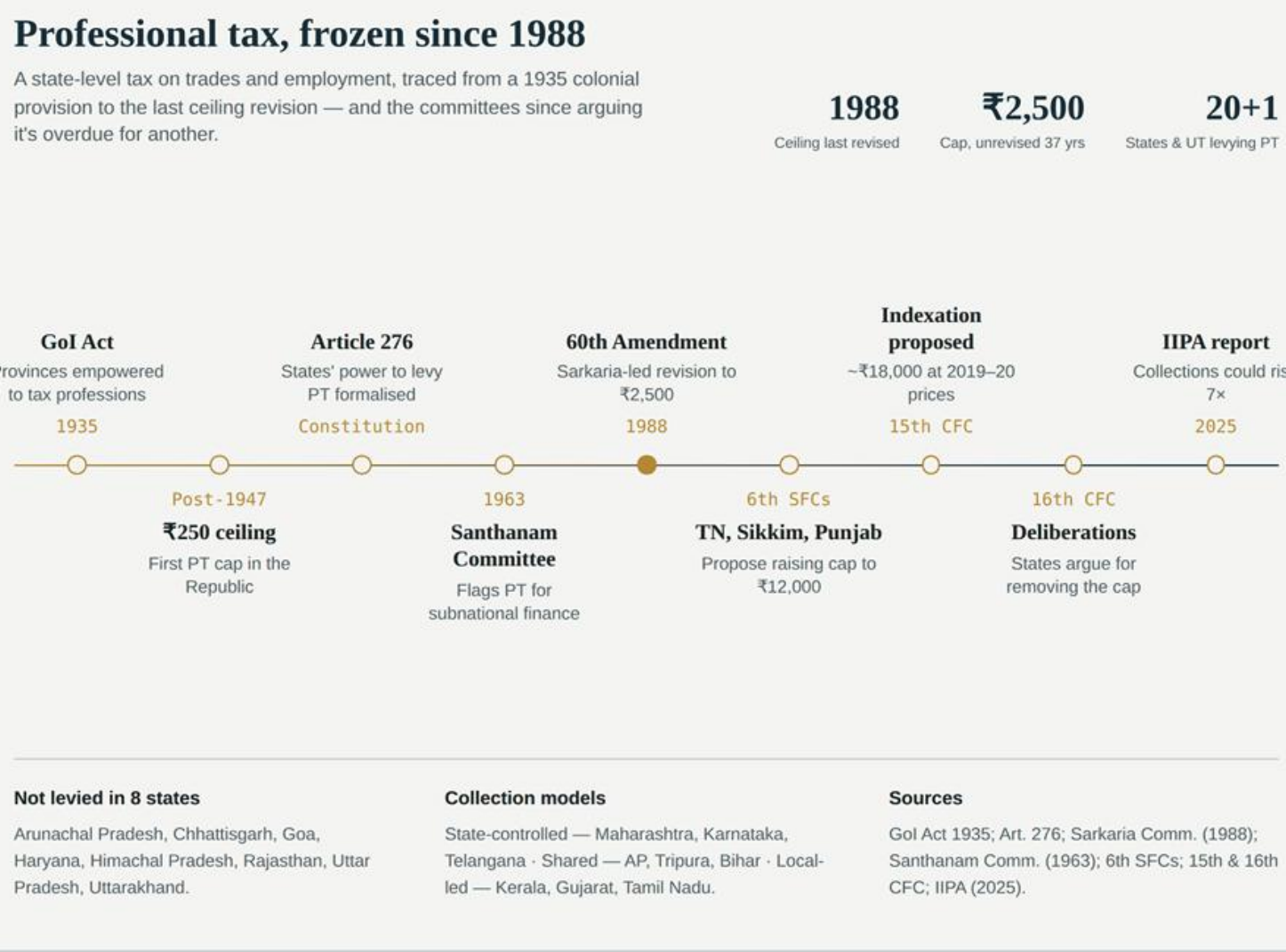

ऐतिहासिक विकास

व्यावसायिक कर की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम, 1935 से मानी जा सकती है, जिसने प्रांतीय सरकारों को ऐसे कर लगाने का अधिकार दिया था। बाद में, इस प्रावधान को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 के अंतर्गत शामिल किया गया। अनुच्छेद 276 को सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 60 के साथ पढ़ने पर राज्यों को व्यावसायिक कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है।

संविधान सभा की बहसों के दौरान, इस प्रश्न पर विवाद हुआ कि क्या आय पर कर और व्यवसायों पर कर एक-दूसरे के विरोध में हैं। डॉ. आंबेडकर ने इस विरोधाभास को स्वीकार किया; हालाँकि, उन्होंने व्यावसायिक कर को जारी रखने का तर्क दिया, क्योंकि कुछ नगरपालिका प्रशासन व्यावसायिक कर से प्राप्त राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर थे और इसे समाप्त करने से उनके कामकाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, व्यावसायिक कर की अधिकतम सीमा 250 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1988 में 60वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस सीमा को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया। हालाँकि, इस सीमा में संशोधन नहीं किया गया है, जिससे इस कर की राजस्व क्षमता सीमित हो गई है। संथानम समिति (1963) और सरकारिया आयोग (1988) सहित विभिन्न आयोगों ने उप-राष्ट्रीय वित्त को सुदृढ़ करने में व्यावसायिक कर के महत्त्व को रेखांकित किया है। सरकारिया आयोग ने कम अधिकतम सीमा के कारण होने वाले कम राजस्व संग्रह पर प्रकाश डाला।

वर्तमान प्रशासनिक ढाँचा

राज्य के मानदंडों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों, दिव्यांग व्यक्तियों, जाति-आधारित कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs), अस्थायी श्रमिकों आदि को छूट दी जाती है। व्यवसायगत छूट और व्यावसायिक कर की दरें अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती हैं, लेकिन सामान्यतः वेतन की प्रगतिशील श्रेणियों, व्यवसाय के प्रकारों और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अधिकांश राज्यों में, निर्धारित सीमा से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी—आमतौर पर 10,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति माह तक—व्यावसायिक कर से मुक्त होते हैं। महाराष्ट्र में, 2023 के संशोधनों के अनुसार, वेतन की श्रेणियों को लिंग के आधार पर भी विभाजित किया गया है तथा व्यावसायिक कर से छूट के लिए वेतन की सीमा पुरुषों के लिए 10,000 रुपये और महिलाओं के लिए 25,000 रुपये निर्धारित की गई है।

भारत में संस्थागत स्थिति में व्यापक असमानता है:

- 17 राज्यों में व्यावसायिक कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है तथा इसका हिस्सा स्थानीय निकायों को आवंटित किया जाता है या उनके साथ साझा किया जाता है। यह राजस्व-साझाकरण व्यवस्था मुख्यतः शहरी स्थानीय निकायों के साथ है।

- केवल तीन राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को कानूनी रूप से व्यावसायिक कर सीधे लगाने और एकत्र करने का अधिकार प्राप्त है।

परिचालन तंत्र	**उदाहरण**	**राजस्व का साझाकरण**
राज्य सरकार के नियंत्रण में राजस्व संग्रह	महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना	सीमित या कोई अधिकार हस्तांतरण नहीं
नगरपालिकाओं के साथ साझा किया गया पी टी	**आंध्रप्रदेश, त्रिपुरा और बिहार**	**आंशिक साझाकरण**
स्थानीय सरकार के नेतृत्व में संग्रह	आंध्रप्रदेश, त्रिपुरा और बिहार	स्थानीय स्तर पर उच्च राजस्व प्रतिधारण

संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

व्यवसाय कर में स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व के एक स्थिर और पूर्वानुमेय स्रोत के रूप में पर्याप्त संभावनाएँ हैं। इसका व्यापक कर आधार और अपेक्षाकृत कम अनुपालन लागत इसे विकेंद्रीकरण के लिए उपयुक्त बनाती है। उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि कर दरों के युक्तिकरण और प्रशासन में सुधार से कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्व में सात गुना तक वृद्धि की संभावना है। व्यवसाय कर संग्रह में पंचायतों की भूमिका को सुदृढ़ करने से स्थानीय स्तर पर वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही में सुधार हो सकता है तथा सेवा वितरण बेहतर हो सकता है।

व्यवसाय कर के प्रशासन में एक प्रमुख बाधा ₹2,500 की पुरानी अधिकतम सीमा है, जो राजस्व सृजन, पुनर्वितरण और स्थानीय विकास की संभावनाओं को काफी सीमित करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजन करने पर, समय के साथ इस सीमा का वास्तविक मूल्य घट गया है। तमिलनाडु, सिक्किम और पंजाब के छठे राज्य वित्त आयोगों के अनुसार, इस सीमा को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹12,000 किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, 15वें केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) ने संचयी मुद्रास्फीति के आधार पर इस सीमा को समायोजित करने की सिफारिश की है, जिससे 2019–20 के मूल्य स्तर पर यह सीमा लगभग ₹18,000 हो जाएगी। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के विचार-विमर्श संबंधी टिप्पणियों में उल्लेख है कि कई राज्य व्यवसाय कर पर लगी ₹2,500 की अधिकतम सीमा को समाप्त करने के पक्ष में हैं।

एक अन्य चुनौती करदाताओं के व्यापक डेटाबेस का अभाव है, जिसके कारण करदाताओं की पहचान और अनुपालन सुनिश्चित करने में अक्षमता उत्पन्न होती है। संस्थागत व्यवस्थाओं में बिखराव भी विभिन्न राज्यों में राजस्व के बँटवारे में असंगतियों को बढ़ावा देता है।

प्रशस्त मार्ग

व्यवसाय कर पर लगी संवैधानिक अधिकतम सीमा में संशोधन करना पहला महत्वपूर्ण कदम है। मुद्रास्फीति के आधार पर सीमा का समायोजन शुरू करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि समय के साथ कर की प्रासंगिकता बनी रहे। राज्यों को कर संग्रह और राजस्व को अपने पास रखने के लिए पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने पर विचार करना चाहिए। क्षमता निर्माण और डिजिटल प्रणालियाँ इस परिवर्तन में सहायक हो सकती हैं। एकीकृत डेटाबेस विकसित करने तथा व्यवसाय कर प्रणालियों को जीएसटी और वेतन भुगतान प्रणालियों जैसे अन्य प्रशासनिक डेटासेट से जोड़ने से अनुपालन और दक्षता में सुधार हो सकता है।

पंचायत स्तर पर स्थानीय कर रजिस्टर तैयार करने की आवश्यकता है। जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आंकड़ों का एकीकरण किया जा सकता है। कर अधिरोपण, राजस्व के बंटवारे और प्रशासन से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की आवश्यकता है। आयकर के साथ दोहराव से बचने के लिए पेशेवर कर संबंधी नियमों में संशोधन करने की नीति संसद के अधिकार क्षेत्र में आती है।

पेशेवर कर की अधिकतम सीमा में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि, संसद ने वर्ष 1988 से पेशेवर कर की दरों और संबंधित दिशा-निर्देशों में कोई संशोधन नहीं किया है।

इस संबंध में, संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करके तथा केंद्रीय वित्त आयोगों को सशक्त बनाकर, प्रत्येक पाँच वर्ष में गठित केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को नीतिगत निर्धारण और कर की दरों के पुनरीक्षण में उचित महत्व देना लाभकारी होगा। पेशेवर कर की दरों में संशोधन के लिए केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोगों से सक्रिय रूप से सुझाव प्राप्त करने चाहिए।

दूसरे, पंचायतों को सीधे व्यवसाय कर एकत्र करने का अधिकार देकर व्यवसाय कर से संबंधित अप्रयुक्त राजकोषीय क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। व्यवसाय कर की अप्राप्त राजस्व क्षमता का उपयोग अपेक्षाकृत कम प्रशासनिक लागत पर स्वयं के राजस्व के स्थिर और पूर्वानुमेय संग्रह को बढ़ा सकता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 2025 की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, व्यवसाय कर से संभावित संग्रह वर्तमान संग्रह की तुलना में सात गुना अधिक है।

अंततः, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के नेतृत्व में व्यवसाय कर संबंधी नीतिगत ढाँचा प्रथाओं को मानकीकृत करने और प्रशासन में असमानताओं को कम करने में सहायता कर सकता है। व्यवसाय कर में स्वयं के राजस्व को बढ़ाकर और सेवा वितरण को सुदृढ़ करके स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने की अपार संभावनाएँ हैं।

वीबी-जी आरएएम जी के अंतर्गत अनुमन्य कार्यों के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम





वीबी-जी आरएएम जी के अंतर्गत अनुमेय कार्यों के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम *(टीओटी)* के दौरान मास्टर प्रशिक्षक एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, श्री अबी अब्राहम, कनिष्ठ परियोजना अधिकारी, ग्रामीण रोजगार प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्य।

सीआईएटीएसजे ने सीडब्ल्यूईएल के सहयोग से 10 और 11 सितंबर 2026 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में दो दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वीबी-जी आरएएम जी के अंतर्गत 375 अनुमेय कार्यों के कार्यान्वयन पर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु विकसित मॉड्यूलों से मास्टर प्रशिक्षकों को परिचित कराना था। इस कार्यक्रम में 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कुल 82 मास्टर प्रशिक्षकों ने भाग लिया।

वीबी-जी आरएएम जी के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के कार्यान्वयन में शामिल हितधारकों, विशेषकर इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए एनआईआरडीपीआर द्वारा विकसित छह मॉड्यूलों पर इस कार्यक्रम के दौरान विस्तार से चर्चा की गई। वीबी-जी आरएएम जी के हितधारकों की क्षमता निर्माण हेतु वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत, 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में वीबी-जी आरएएम जी के अंतर्गत चार श्रेणियों के अनुमेय कार्यों के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से 11,089 हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण के 277 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण रोजगार प्रभाग के कनिष्ठ परियोजना अधिकारी, श्री अबी अब्राहम ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा मास्टर प्रशिक्षकों को अभिमुखीकरण प्रदान करने में एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों को सहयोग दिया।

प्रो. ज्योथिस सत्यपालन, स्कूल प्रमुख, सीआईएटीएसजे ने उद्घाटन सत्र में भाग लिया तथा प्रो. रवींद्र गवली, संकाय प्रमुख, सीडब्ल्यूईएल ने समापन सत्र में भाग लिया और प्रतिभागियों को संबोधित किया। दो दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) के दौरान चर्चाओं का संचालन एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों की टीम ने किया, जिसमें डॉ. सी. कथिरेसन, डॉ. रमेश शक्तिवेल, डॉ. वी. सुरेश बाबू, डॉ. टी. विजया कुमार, डॉ. पी. पी. साहू, डॉ. कृष्णा लोहिदास, डॉ. एम. के. श्रीवास्तव, इंजीनियर सोलंकी, इंजीनियर पी. पी. भट्टाचार्जी, डॉ. लखन सिंह, डॉ. प्रभाकर तथा इंजीनियर के. राजेश्वर शामिल थे।















एनआईआरडीपीआर द्वारा सिक्किम के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-सह-राइटशॉप का आयोजन







श्रीमती रोहिणी आर. भाजीभाकरे, आईएएस, संयुक्त सचिव, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं महानिदेशक (प्रभारी), एनआईआरडीपीआर, प्रशिक्षण मॉड्यूलों और अनुसंधान प्रस्तावों की योजना एवं रूपरेखा तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण-सह-लेखन कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों के साथ संवाद करती हुईं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने सिक्किम राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) के मास्टर प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों के लिए 21 से 25 सितंबर 2026 तक प्रशिक्षण मॉड्यूलों और अनुसंधान प्रस्तावों की योजना एवं रूपरेखा तैयार करने पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण-सह-लेखन कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने, अनुसंधान प्रस्ताव विकसित करने, उद्यमिता, प्रकाशन प्रक्रियाओं तथा उभरते कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों के उपयोग में प्रतिभागियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। इस कार्यक्रम में कक्षा सत्रों के साथ व्यावहारिक अभ्यास, लेखन संबंधी गतिविधियाँ तथा विशेषज्ञों और सहकर्मियों द्वारा समीक्षा को शामिल किया गया, जिससे प्रतिभागी सिक्किम की प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप परिणाम विकसित कर सकें।

सत्रों में प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन, दक्षता-आधारित प्रशिक्षण रूपरेखा, प्रभावी प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास, ग्रामीण प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए उद्यमिता विकास एवं व्यवसाय योजना, अनुसंधान समस्या की पहचान, अनुसंधान पद्धति, साहित्य समीक्षा, अनुसंधान अंतराल की पहचान तथा डेटा विश्लेषण जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी परिचित कराया, गया तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान डिजिटल मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग, अनुसंधान रिपोर्टों और जर्नल शोध-पत्रों की तैयारी, प्रकाशन प्रक्रियाएँ, प्रकाशन नैतिकता, एआई का जिम्मेदार उपयोग, ओपन-सोर्स टूल्स तथा एआई-सक्षम डैशबोर्ड, इन्फोग्राफिक्स और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन जैसे अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।

इस राइटशॉप का एक प्रमुख घटक सिक्किम की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण मॉड्यूलों, अनुसंधान प्रस्तावों और व्यवसाय योजनाओं का व्यावहारिक विकास था। इन तैयारियों को आगे परिष्कृत करने और अंतिम रूप देने के उद्देश्य से विशेषज्ञों तथा सहकर्मियों द्वारा उनकी समीक्षा की गई।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती रोहिणी आर. भाजीभाकरे, आईएएस, संयुक्त सचिव, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं महानिदेशक (प्रभारी), एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ संवाद किया तथा प्रासंगिक, साक्ष्य-आधारित और प्रौद्योगिकी-सक्षम दृष्टिकोणों के माध्यम से संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने के महत्व पर बल दिया।

इस कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, एसआईआरडी/ईटीसी नेटवर्किंग यूनिट, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र तथा समन्वयक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, एनआईआरडीपीआर और डॉ. प्रभाकर कोल्लापुडी, सहायक प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीएमई, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया।

आरपीएल के माध्यम से प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना





एनआईआरडीपीआर के प्रोफेसर एवं डीडीयू-जीकेवाई रिसोर्स सेल के कार्यकारी निदेशक, डॉ. जे. एस. रेड्डी, प्रशिक्षक प्रशिक्षण – शिक्षण पद्धति (आरपीएल) तथा मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (आरपीएल) कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों के साथ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने कीट प्रबंधन उद्योग के पेशेवरों एवं विशेषज्ञों के लिए 31 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक प्रशिक्षक प्रशिक्षण – शिक्षण पद्धति (आरपीएल) कार्यक्रम आयोजित किया। इसके पश्चात 3 सितंबर 2026 को मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (आरपीएल) कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ये कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित औद्योगिक सामान्य कीट प्रबंधन तकनीशियन की योग्यता के अंतर्गत आयोजित किए गए। इनका मुख्य उद्देश्य पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) ढाँचे के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन में संलग्न उद्योग के पेशेवरों की क्षमता को सुदृढ़ करना था।

तीन दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षकों की शिक्षण संबंधी दक्षताओं को बढ़ाना तथा अनुमोदित योग्यता के अनुरूप सुव्यवस्थित, दक्षता-आधारित और मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग में पूर्व अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के अधिगम को प्रभावी ढंग से सुगम बनाने के लिए प्रशिक्षकों की क्षमता को सुदृढ़ करना था।

3 सितंबर को आयोजित मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मूल्यांकन संबंधी दक्षताओं को सुदृढ़ करना तथा पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) ढाँचे के अंतर्गत अभ्यर्थियों के मूल्यांकन में एकरूपता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मौजूदा कौशलों की पहचान और प्रमाणन के लिए सुदृढ़ मूल्यांकन प्रक्रियाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

इन पहलों से प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं के मानकीकरण, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या में वृद्धि, आरपीएल के माध्यम से मौजूदा कौशलों की मान्यता तथा कुशल कीट प्रबंधन तकनीशियनों का एक बड़ा समूह विकसित करने में योगदान मिलने की अपेक्षा है। इन प्रयासों का उद्देश्य कीट प्रबंधन क्षेत्र में गुणवत्ता और व्यावसायिकता में सुधार लाना भी है।

समापन सत्र में एनआईआरडीपीआर के प्रोफेसर एवं डीडीयू-जीकेवाई रिसोर्स सेल के कार्यकारी निदेशक, डॉ. जे. एस. रेड्डी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग की आवश्यकताओं, दक्षता-आधारित प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण प्रमाणन को परस्पर जोड़कर कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया।

ग्रामीण पर्यटन एवं होमस्टे के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना





ग्रामीण पर्यटन एवं होमस्टे के माध्यम से आजीविका संवर्धन पर आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) के प्रतिभागियों के साथ डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी प्रमुख, सीईडीएफआई तथा डॉ. रवींद्र गावली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीएनआरएम, सीसीडीएम, एनआईआरडीपीआर।

ग्रामीण पर्यटन और समुदाय-आधारित होमस्टे आजीविका सृजन तथा स्थानीय उद्यम विकास के संभावित माध्यमों के रूप में ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस संदर्भ में, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा डीएवाई-एनआरएलएम के प्रायोजन में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक "ग्रामीण पर्यटन एवं होमस्टे के माध्यम से आजीविका संवर्धन" विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) का आयोजन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के अधिकारियों, विशेष रूप से गैर-कृषि क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है, ताकि ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे को आजीविका के व्यवहार्य अवसरों के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों, सामूहिक संगठनों, स्थानीय उद्यमियों और सामुदायिक संस्थाओं को पर्यटन-संबंधी उद्यमों में भागीदारी के लिए सक्षम बनाना है।

प्रतिभागियों को ग्रामीण पर्यटन के विभिन्न मॉडलों एवं अच्छी कार्यप्रणालियों, पर्यटन की संभावनाओं का मानचित्रण एवं प्रोफाइल तैयार करने, होमस्टे की योजना एवं व्यवसाय मॉडल, समुदाय-आधारित पर्यटन, स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता, विपणन एवं डिजिटल प्रचार-प्रसार, मूल्य श्रृंखला विकास तथा उद्यम संवर्धन के बारे में जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण पर्यटन से संबंधित सरकारी योजनाओं एवं संस्थागत ढाँचों पर भी चर्चा की जा रही है।

पाँच दिवसीय कार्यक्रम में कक्षा सत्रों, विशेषज्ञों के साथ संवाद, व्यक्ति अध्ययन, समूह अभ्यास, व्यावहारिक सत्रों और अनुभवात्मक भ्रमण को शामिल किया गया है। सफल मॉडलों का आदान-प्रदान तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के बीच सहकर्मी अधिगम भी इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं।

एनआईआरडीपीआर के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र के प्रोफेसर एवं प्रमुख, डॉ. रवींद्र गावली ने प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा सतत ग्रामीण पर्यटन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्षमताओं को सुदृढ़ करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रम का समन्वयन एनआईआरडीपीआर के उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएफआई) के डॉ. पार्थ प्रतिम साहू तथा वाईपी – एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ के श्री आशुतोष धामी द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे को सतत आजीविका तथा स्थानीय उद्यम के अवसरों के रूप में विकसित करने में सहयोग प्रदान करना है।

प्रभावी जमीनी स्तर के शासन हेतु जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ बनाना



जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के सदस्यों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दौरान एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीएएस, डॉ. सुरजीत विक्रमन तथा विषय विशेषज्ञों के साथ प्रतिभागी।

डीडीयू-जीकेवाई रिसोर्स सेल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एमजीएसआईआरडीपीआर) तथा मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से 7 सितंबर 2026 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के सदस्यों के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में 52 पंचायत सचिवों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के सदस्यों ने भाग लिया, जो जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन तथा जन जैव विविधता रजिस्टरों (पीबीआर) की तैयारी से जुड़े हुए हैं। प्रशिक्षण में जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा इसके 2023 के संशोधनों, जैव विविधता शासन, संस्थागत तंत्र, जन जैव विविधता रजिस्टरों (पीबीआर) की तैयारी, पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (एबीएस), सामुदायिक अधिकारों, संरक्षण योजना तथा जैविक संसाधनों के सतत उपयोग के संबंध में उनकी समझ को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सत्रों में जैव विविधता संरक्षण और समुदाय-आधारित प्रबंधन के व्यावहारिक पहलुओं को शामिल किया गया। श्री अभिषेक नागवंशी, संकाय सदस्य, पीबीआर; सुश्री शिवानी शर्मा, तकनीकी विशेषज्ञ, पीबीआर; श्री शुभम सिंह पंकज; श्री विवेक कुमार पांडेय, तकनीकी विशेषज्ञ, एनआरएम, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड; श्री मनोज सोलंकी, सहायक सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड; तथा डॉ. सुरजीत विक्रमन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, कृषि अध्ययन केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने जैव विविधता संरक्षण, शासन तथा सामुदायिक भागीदारी के विभिन्न पहलुओं पर सत्रों का संचालन किया।

मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित श्री गोविंद सिंह पटेल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को सुदृढ़ करने और उनकी गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम का समापन सत्र श्री आकाश साहू, आईएफएस, एसडीओ, जबलपुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा उन्होंने मध्य प्रदेश में बीएमसी के लिए क्षमता निर्माण पहलों को सुदृढ़ करने और उनका विस्तार करने के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव साझा किए।

कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, सामुदायिक अधिकारों की सुरक्षा तथा जैविक संसाधनों के सतत प्रबंधन में स्थानीय संस्थाओं और समुदायों की भूमिका पर बल दिया गया। इस प्रकार, इसने जमीनी स्तर पर प्रभावी जैव विविधता शासन में योगदान दिया।

एनआईआरडीपीआर द्वारा कर्नाटक में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन





जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) तथा कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से 29 सितंबर 2026 को चिक्कबल्लापुर तालुक, कर्नाटक में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के सदस्यों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में 41 बीएमसी सदस्यों और पंचायत सचिवों के साथ-साथ तालुक स्तर के अधिकारियों, ग्राम पंचायत प्रशासकों तथा ग्राम पंचायत स्तर के महासंघों के अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन और संरक्षण के क्षेत्र में बीएमसी की समझ एवं कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सत्रों में जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं इसके 2023 के संशोधनों, जैव विविधता शासन, जन जैव विविधता रजिस्टरों (पीबीआर) की तैयारी एवं रखरखाव, पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (एबीएस), संरक्षण योजना तथा जैव विविधता के सतत उपयोग सहित प्रमुख विषयों को शामिल किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री अथिक पाशा, उप सचिव, जिला पंचायत, चिक्कबल्लापुर ने किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर प्रभावी जैव विविधता शासन एवं संरक्षण के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को सुदृढ़ करने के महत्व पर बल दिया। श्री श्रीनाथ गौड़ा, सीएस, कार्यकारी अधिकारी, चिक्कबल्लापुर तालुक तथा सुश्री वी. रश्मि, तहसीलदार, चिक्कबल्लापुर तालुक ने भी उद्घाटन सत्र में भाग लिया।

कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों के सत्र आयोजित किए गए, जिनमें श्री प्रसन्ना के. आर., तकनीकी कार्यकारी, कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड, बेंगलुरु; श्री शिव स्वामी, पारंपरिक नाटी वैद्य, डिब्बुरु ग्रामम, चिक्कबल्लापुर तालुक; तथा श्री स्वामी लवण, परियोजना समन्वयक, ग्रीन चिक्कबल्लापुर, ईशा आउटरीच सेंटर शामिल थे। उनके विशेषज्ञता-आधारित योगदान से प्रतिभागियों को जैव विविधता संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान तथा स्थानीय जैविक संसाधनों के सतत उपयोग के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी प्राप्त हुई।

इस कार्यक्रम ने जमीनी स्तर पर जैव विविधता संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी तथा सतत जैव विविधता शासन के संबंध में समझ को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसका समन्वय डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक, सहायक प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा किया गया।

कार्यक्रम का समापन बीएमसी को सुदृढ़ करने तथा भारत की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय-आधारित प्रयासों के प्रति नए संकल्प के साथ हुआ।

समावेशी एवं बाल-अनुकूल पंचायतों को सुदृढ़ बनाने हेतु एनआईआरडीपीआर और बीएआईएफ के बीच तीन वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर





एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में समावेशी एवं बाल-अनुकूल पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु तीन वर्षीय समझौता ज्ञापन *(एमओयू)* पर हस्ताक्षर के दौरान एनआईआरडीपीआर और बीएआईएफ फाउंडेशन के प्रतिनिधि।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट से संबद्ध ब्रिटिश एशियन इंडिया फाउंडेशन (बीएआईएफ) ने 23 सितंबर 2026 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में तीन वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह नवीनीकृत साझेदारी वर्ष 2025-26 के दौरान दोनों संस्थानों के बीच हुए सहयोग पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बाल-अनुकूल ग्रामों को बढ़ावा देना तथा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर एनआईआरडीपीआर की ओर से डॉ. प्रणब कुमार घोष, प्रभारी सहायक कुलसचिव (स्थापना) तथा बीएआईएफ की ओर से ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक – भारत, श्री भरत विश्वेश्वरैया ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डॉ. रुपिका चहल, प्रमुख, सरकारी सहभागिता, बीएआईएफ; डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र; डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, लिंग अध्ययन एवं विकास केंद्र तथा सीआरआई, एनआईआरडीपीआर; डॉ. ज्योति प्रकाश महंती, उप निदेशक, एनआरएलएम रिसोर्स सेल; तथा सुश्री श्रुति आपसिंगिकर, एसबीसीसी समन्वयक, यूनिसेफ-सीआरयू, एनआईआरडीपीआर उपस्थित थे।

यह समझौता ज्ञापन अभिसरण-आधारित, पंचायत-केंद्रित दृष्टिकोणों के प्रायोगिक कार्यान्वयन, प्रदर्शन एवं सत्यापन के लिए एक संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य समुदाय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना, कमजोर परिवारों की सरकारी लाभों एवं सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना तथा स्थानीय विकास योजना में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। सहयोग के प्रारंभिक क्षेत्रों में सामुदायिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुविधा प्रदान करना, पंचायतों के माध्यम से कमजोर परिवारों की पहचान एवं उन्हें संबंधित सेवाओं के लिए संदर्भित करना तथा जन योजना अभियान और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) प्रक्रियाओं में भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं।

यह साझेदारी बीएआईएफ के कवच कार्यक्रम को पूरक सहयोग प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य परिवार-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायत-नेतृत्व वाली प्रणालियों को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं, सामुदायिक संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, ताकि कमजोरियों की शीघ्र पहचान, सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका के अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके तथा स्थानीय योजना एवं बजट निर्माण में बच्चों और कमजोर परिवारों की आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद हुई चर्चा के दौरान, प्रस्तावित गतिविधियों पर विचार-विमर्श करने तथा एमओयू के अंतर्गत परियोजना-विशिष्ट कार्य योजनाएँ, समय-सीमाएँ, संस्थागत उत्तरदायित्व, अपेक्षित परिणाम और कार्यान्वयन व्यवस्थाएँ विकसित करने के लिए एनआईआरडीपीआर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने पर सहमति बनी। प्रतिभागियों ने पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत आजीविका के क्षेत्र में इस साझेदारी का विस्तार करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

एक पहल, 51 रक्तदाता: एनआईआरडीपीआर में जीवनदान की एक प्रेरणादायक पहल







हर सामूहिक आंदोलन की शुरुआत कहीं न कहीं से होती है। कभी-कभी इसकी शुरुआत केवल एक व्यक्ति और एक प्रेरणादायक विचार से होती है। 3 सितंबर 2026 को एनआईआरडीपीआर में आयोजित रक्तदान शिविर की शुरुआत भी ठीक इसी तरह हुई। इसका विचार सबसे पहले एक छात्रा के मन में आया: परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन क्यों न किया जाए? यह एक सरल विचार था, लेकिन इसके पीछे दृढ़ विश्वास था। उसने अपना विचार साथी विद्यार्थियों के साथ साझा किया। धीरे-धीरे यह विचार सभी को प्रेरित करने लगा। एक छात्रा के विचार से शुरू हुई यह पहल जल्द ही छात्र स्वयंसेवक समिति की सामूहिक आकांक्षा बन गई।

इसके बाद इस पहल का प्रभाव बढ़ता गया।

विद्यार्थियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। संकाय सदस्यों ने प्रोत्साहित किया। प्रशासन ने इसके आयोजन में सहयोग के लिए पहल की। कुलसचिव, जनसंपर्क अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों ने इस विचार को वास्तविकता में बदलने में सहायता की। हैदराबाद के निवारक चिकित्सा संस्थान ने चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने के लिए एनआईआरडीपीआर के साथ सहयोग किया। इस प्रकार, एक छात्रा के मन में उत्पन्न हुई छोटी-सी प्रेरणा अंततः 51 रक्तदाताओं को एक साथ लाने में सफल रही।

रक्तदान शिविर की सबसे प्रेरणादायक कहानी शायद यही थी—केवल एकत्रित रक्त की इकाइयों की संख्या नहीं, बल्कि यह कि किस प्रकार एक व्यक्ति की पहल ने एक नेक उद्देश्य के लिए पूरे संस्थान को एकजुट कर दिया।

यह शिविर एनआईआरडीपीआर के स्वास्थ्य केंद्र में हैदराबाद स्थित निवारक चिकित्सा संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया। पीजीडीएम-आरएम और पीजीडीआरडीएम कार्यक्रमों के विद्यार्थियों ने विद्यार्थी स्वयंसेवक समिति के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें संकाय सदस्यों और संस्थान के प्रशासन ने सहयोग प्रदान किया। विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए आगे आकर परिसर को स्वैच्छिक सेवा और सामूहिक उत्तरदायित्व के केंद्र में परिवर्तित कर दिया।

श्री मनोज कुमार, रजिस्ट्रार; डॉ. प्रणब कुमार घोष, सहायक रजिस्ट्रार; तथा श्री के. सी. बेहेरा, जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने इस पहल के लिए प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया। डॉ.ज्योतिस सत्यपालन, प्रमुख, सीपीजीएस; डॉ.आर्यश्री देबप्रिय, एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र; तथा डॉ.आर. रमेश, ग्रामीण आधारभूत संरचना केंद्र ने शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया।

रक्तदान वस्तुतः जीवन का उपहार है। दान किया गया रक्त आपातकालीन स्थितियों, दुर्घटनाओं, शल्य चिकित्सा तथा अन्य गंभीर चिकित्सा परिस्थितियों में रोगियों की सहायता करता है, और इसकी उपलब्धता अंततः लोगों द्वारा स्वेच्छा से आगे आकर रक्तदान करने पर निर्भर करती है। इसलिए, इस शिविर ने न केवल तत्काल जनस्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य की पूर्ति की, बल्कि स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करने में भी सहायता की।

हालाँकि, विद्यार्थियों के लिए यह अनुभव इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था। इसने प्रदर्शित किया कि स्वयंसेवा का अर्थ केवल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोजित गतिविधि में भाग लेना ही नहीं है, बल्कि आवश्यकता को पहचानना, पहल करना और दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना भी है। विद्यार्थी स्वयंसेवक समिति ने एक व्यक्तिगत विचार को संस्थागत प्रयास में परिवर्तित कर दिया तथा विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को सेवा, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व के साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया।

द सीक्रेट (लेखिका: रोंडा बर्न) में व्यक्त एक प्रचलित विचार के अनुसार, जब किसी इच्छा को पर्याप्त दृढ़ता के साथ मन में धारण किया जाता है और दृढ़ विश्वास के साथ उसका अनुसरण किया जाता है, तो लोग, अवसर और परिस्थितियाँ उसके अनुरूप एकजुट होने लगती हैं। इसे चाहे दृढ़ विश्वास कहें, सकारात्मक इरादा कहें या फिर पहल करने की शक्ति– एनआईआरडीपीआर के रक्तदान शिविर ने इस विचार का एक छोटा लेकिन उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

एक विद्यार्थी के मन में एक विचार आया। कुछ अन्य विद्यार्थियों ने उस पर विश्वास किया। एक संस्थान ने उस पहल का समर्थन किया। और 51 लोग जीवन का उपहार देने के लिए आगे आए।

कभी-कभी, सार्थक बदलाव की शुरुआत के लिए बस इतनी ही आवश्यकता होती है–एक चिंगारी।







समुदाय-संचालित जवाबदेही को मजबूत करना: असम में उन्नत लेखापरीक्षा प्रशिक्षण और फील्ड-स्तर पर प्रगति



सामुदायिक लेखापरीक्षकों के साथ फोटो खिंचवाते हुए डॉ. आर. मुरुगेसन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, एनईआरसी-गुवाहाटी

डीएवाई- एनआरएलएम के अंतर्गत प्रभावी संस्थागत शासन में समुदाय-नेतृत्व वाली जवाबदेही प्रणालियों को सुदृढ़ करना एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन तथा आजीविका एवं सामाजिक विकास संबंधी पहलों के कार्यान्वयन में सामुदायिक संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ (एनआरएलएम आरसी), एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, असम में सामुदायिक लेखापरीक्षकों के क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहा है।

इस प्रयास के अंतर्गत, उन्नत लेखापरीक्षा प्रशिक्षण के नौ बैच सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं, जिनमें असम के सभी 35 ब्लॉकों के 304 सामुदायिक लेखापरीक्षकों को शामिल किया गया। इस प्रशिक्षण पहल से प्रशिक्षित सामुदायिक पेशेवरों का एक समूह तैयार करने में सहायता मिली है, जिनके पास स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), ग्राम संगठनों (वीओ)तथा क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ)की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उन्नत ज्ञान एवं कौशल हैं।

क्षमता निर्माण से क्षेत्रीय स्तर कार्यवाही तक

प्रशिक्षण का वास्तविक महत्व इस बात में झलकता है कि इसे ज़मीनी स्तर पर किस तरह अमल में लाया जाता है। क्षमता निर्माण की इस पहल के पश्चात, सामुदायिक लेखापरीक्षकों ने असम भर में सामुदायिक संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करना प्रारंभ कर दिया है। 13 अगस्त 2026 तक की प्रगति समुदाय-नेतृत्व वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के संस्थागतकरण की एक उत्साहजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है।

क्र. सं.	सीबीओ के प्रकार	कुल सीबीओ	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूर्ण की गई आंतरिक लेखापरीक्षा (13-08-	उपलब्धि %
1	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)	363,370	**35,412**	**10%**
2	ग्राम संगठन (वीओ)	**19,552**	**5,186**	**27%**
3	क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ)	**752**	**601**	**80%**

*** स्रोत: एएसआरएलएम डेटा**

आँकड़े सीएलएफ स्तर पर विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हैं, जहाँ 752 सीएलएफ में से 601 अर्थात् 80% ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी कर ली है। वीओ स्तर पर, 19,552 वीओ में से 5,186 अर्थात् 27% ने अपनी लेखापरीक्षा पूरी कर ली है। एसएचजी स्तर पर, अब तक 3,63,370 एसएचजी में से 35,412 अर्थात् 10% ने आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी कर ली है।

अनुपालन से आगे: बेहतर शासन को सक्षम बनाना



समुदाय-नेतृत्व वाली लेखापरीक्षा केवल वित्तीय अभिलेखों की जाँच करने की एक व्यवस्था नहीं है। यह सामुदायिक संस्थाओं को अपनी प्रणालियों की समीक्षा करने, कमियों की पहचान करने, दस्तावेज़ीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा समय पर सुधारात्मक उपाय करने का अवसर प्रदान करती है।

इसलिए, जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित सामुदायिक लेखापरीक्षकों की उपलब्धता ऐसी संस्कृति विकसित करने में योगदान दे सकती है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सामुदायिक संस्थाओं के प्रबंधन का अभिन्न अंग बन जाएँ।

यह पहल सामुदायिक क्षमताओं में निवेश के महत्त्व को भी प्रदर्शित करती है। केवल बाह्य लेखापरीक्षा व्यवस्थाओं पर निर्भर रहने के बजाय, सामुदायिक संस्थागत तंत्र के भीतर से ही प्रशिक्षित सामुदायिक लेखापरीक्षकों को तैयार करने से स्थानीय स्वामित्व, स्थिरता और निरंतर संस्थागत अधिगम को बढ़ावा मिलता है।

असम के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

सभी 35 ब्लॉकों के 304 सामुदायिक लेखापरीक्षकों को शामिल करते हुए उन्नत लेखापरीक्षा प्रशिक्षण के नौ बैचों का पूरा होना, असम की लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। क्षेत्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाते हैं कि प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित क्षमता, तीन-स्तरीय सामुदायिक संस्थागत संरचना में क्रमिक रूप से कार्यरूप ले रही है।

सीएलएफ स्तर पर 80% उपलब्धि एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है, जबकि वीओ और एसएचजी की



लेखापरीक्षा के दायरे में और विस्तार की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। आगे चलकर, निरंतर सहयोग, गुणवत्ता आश्वासन तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण होगी कि लेखापरीक्षाओं के परिणामस्वरूप केवल अनुपालन ही न हो, बल्कि संस्थागत शासन में मापनीय सुधार भी हों।

आगे की राह

304 सामुदायिक लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षित करने से लेकर असम भर में एक कार्यशील समुदाय-नेतृत्व वाली लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करने तक की यह यात्रा, सामुदायिक संस्थाओं की स्थिरता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

अब सभी 35 ब्लॉकों में प्रशिक्षित लेखापरीक्षकों की उपलब्धता के साथ, ध्यान क्रमिक रूप से लेखापरीक्षा के दायरे को बढ़ाने, लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित किया जा सकता है कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाए और संस्थागत सुधार हो।

इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक लेखापरीक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करना तथा असम में 422 प्रशिक्षित सामुदायिक लेखापरीक्षकों का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिससे व्यापक कवरेज और निरंतर समुदाय-नेतृत्व वाली लेखापरीक्षा पद्धतियों को सुनिश्चित किया जा सके।

इस समन्वित प्रयास के माध्यम से, एनआरएलएम आरसी, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी तथा एएसआरएलएम, समुदाय-नेतृत्व वाली जवाबदेही के संस्थागतकरण में योगदान दे रहे हैं, जिससे असम में अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर सामुदायिक संस्थाओं के लिए आधार सुदृढ़ हो रहा है।

यह रिपोर्ट सुश्री संगीता आर. बरठाकुर, मिशन प्रबंधक, एनआरएलएम आरसी, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी द्वारा तैयार की गई है।

एनआरएलएम-आरसी के अधिकारियों ने श्रीनगर में आयोजित सहायक पर्यवेक्षण रूपरेखा पर ज़ोन-3 की राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया



ज़ोन 3 की राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान अधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर एसआरएलएम के राज्य मिशन निदेशक तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री

सामाजिक समावेशन को मिशन की मुख्य प्राथमिकता के रूप में पुनः केंद्र में स्थापित करना

डे-एनआरएलएम की राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू) ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मेजबानी में, 21 से 24 सितंबर 2026 तक श्रीनगर में राष्ट्रीय सहायक पर्यवेक्षण रूपरेखा (एनएसएसएफ)पर ज़ोन 3 की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस चार दिवसीय परस्पर सीखने की प्रक्रिया में लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 61 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ (एनआरएलएम-आरसी) ने कार्यशाला में एनआईआरडीपीआर का प्रतिनिधित्व किया।

उद्घाटन सत्र में, जम्मू-कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य मिशन निदेशक एवं अपर मिशन निदेशक ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके पश्चात्, राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई ने एनएसएसएफ के औचित्य तथा राज्यों के बीच परस्पर सीखने के मंच के रूप में कार्यशाला आयोजित करने के उद्देश्य को प्रस्तुत किया। प्रस्तुति में क्लस्टर स्तरीय संघों के लिए विजन 2047 निर्धारित किया गया, जिसके अनुसार ये संस्थाएँ समुदाय के नेतृत्व में संचालित, समुदाय द्वारा शासित तथा वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होंगी। इसमें परिपक्वता के चार-स्तरीय विकास पथ का भी वर्णन किया गया। मार्च 2026 तक छह राज्यों में आकलन पूरे कर लिए गए थे, फिर भी किसी भी इमर्शन साइट को घोषित नहीं किया गया था। इस कमी को संस्थागत परिपक्वता की साझा एवं अंतरराज्यीय समझ विकसित करने की प्रमुख आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया गया।

पहले दिन का मुख्य फोकस नेशनल रिसोर्स पर्सन्स (एनआरपी) द्वारा सीएलएफ के राउंड-1 फील्ड असेसमेंट पर प्रतिभागियों ने एनएसएसएफ के चार दृष्टिकोणों (लेंस) को केंद्र में रखकर समूहों में काम किया: एक सामाजिक इकाई के रूप में सीएलएफ; आत्मनिर्भरता की दिशा में लक्ष्य-उन्मुखता; कठोर ऊर्ध्वाधर ढांचे के बजाय क्षैतिज समन्वय; और एक खुली प्रणाली सीएलएफ। आकलन में पाँच प्रमुख स्तंभों की जाँच की गई–संस्थागत एवं शासन संबंधी आधार; मानव संसाधन एवं संवर्ग विकास; वित्तीय आत्मनिर्भरता; सदस्य-स्तरीय परिणाम; तथा सामाजिक सहभागिता एवं परस्पर सीखना।

राज्यों की प्रस्तुतियों में चुनौतियों के साथ-साथ आशाजनक कार्यप्रणालियाँ भी सामने आईं। लद्दाख ने नवगठित सीएलएफ और एसएचजी के ऐसे उद्यम को प्रस्तुत किया, जिससे उसके सदस्यों को शुद्ध लाभ हो रहा है। जम्मू-कश्मीर ने आकलन किए गए सीएलएफ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत उच्च स्तर के नामांकन की जानकारी दी। उत्तराखंड ने लोकओएस (LokOS) में अद्यतन कार्य तथा वैधानिक लेखा-परीक्षाओं को पूरा करने में अच्छी प्रगति दर्शाई, जबकि हिमाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया।

उज्ज्वल एमसीएलएफ को सामाजिक सक्रियता एवं परस्पर सीखने के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन करने वाले तथा प्रगति कर रहे संघ के रूप में प्रस्तुत किया गया। हरियाणा के आकलन में सदस्य-स्तरीय परिणामों और सामाजिक सक्रियता में कमियाँ सामने आईं, जबकि पंजाब ने डिजिटल लेन-देन के अभिलेखन तथा सीएलएफ-स्तरीय संस्थागत प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एनएसएसएफ कार्यशाला, श्रीनगर।

दूसरे दिन राज्य की टीमें निष्कर्षों को समेकित करने के लिए एक साथ आईं। आकलनों में पहचाने गए 42 साझा मुद्दों में से 27 मुद्दे चार या अधिक राज्यों में पाए गए, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी गई। प्रमुख चिंताओं में सीएलएफ-स्तरीय दृष्टिकोण एवं योजना के प्रति कमजोर स्वामित्व, सीएलएफ के अपने कार्मिकों एवं मानव संसाधन प्रणालियों का सीमित होना, अपर्याप्त वित्तीय निगरानी, सदस्य-स्तर पर आजीविका संबंधी लाभों का अपर्याप्त दस्तावेजीकरण तथा एसएचजी और वीओ स्तर पर मजबूत सक्रियता को सीएलएफ-स्तरीय संस्थागत कार्रवाई में सीमित रूप से परिवर्तित करना शामिल था।

कार्यशाला की एक प्रमुख विशेषता सीएलएफ और राज्यों के लिए ऑफलाइन-सक्षम डिजिटल नियोजन उपकरण की शुरुआत करना रहा। यह उपकरण एनएसएसएफ के चार-स्तरीय ढाँचे और शासन, नियोजन, कार्मिक, वित्तीय प्रदर्शन, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता, सामुदायिक कार्रवाई तथा अन्य संकेतकों को शामिल करने वाली मानदंड मैट्रिक्स का उपयोग करके सीएलएफ-स्तरीय और राज्य-स्तरीय योजनाएँ तैयार करने में सक्षम बनाता है। पाँच स्तंभों के अंतर्गत 230 गतिविधियों का एक संग्रह तथा एक आरएसीआई मैट्रिक्स शामिल किया गया, ताकि सीएलएफ, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जा सके और जवाबदेही मजबूत हो।

तीसरे दिन, राज्य दलों ने डिजिटल नियोजन उपकरण में विवरण भरे और स्वावलंबी सीएलएफ के लिए सहायक पर्यवेक्षण योजनाएँ विकसित कीं। नियोजन अभ्यास में पहचानी गई कमियों को विशिष्ट हस्तक्षेपों, समय-सीमाओं, जिम्मेदारियों और अपेक्षित परिणामों में परिवर्तित किया गया। साथ ही, राज्य-स्तरीय रणनीतियाँ और एनएमएमयू से अपेक्षित सहायता भी निर्धारित की गई। इस प्रकार, कार्यशाला आकलन से आगे बढ़कर सीएलएफ को मजबूत करने के लिए एक सुव्यवस्थित, कार्योन्मुख दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुई। एनएसएसएफ कार्यशाला, श्रीनगर

कार्यशाला का समापन 24 सितंबर को जम्मू-कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की राज्य मिशन निदेशक डॉ. शुभ्रा शर्मा के समापन संबोधन के साथ हुआ। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव, ग्रामीण आजीविका-I ने मार्गदर्शन संबंधी टिप्पणी प्रस्तुत की। चर्चाओं में सीएलएफ को गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित करने, प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल सीएलएफ इमर्शन साइट की नींव रखने तथा सीएलएफ के लिए अंक-निर्धारण एवं स्व-मूल्यांकन तंत्र विकसित करने की संभावनाओं पर जोर दिया गया। प्रत्येक राज्य ने क्षमता सुदृढ़ करने और एनएसएसएफ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की अपनी योजनाएँ भी प्रस्तुत कीं।

इसके बाद एनआरपी ने कार्यशाला के समग्र निष्कर्ष प्रस्तुत किए और प्रत्येक राज्य ने अपने स्थान पर लौटने के बाद इस कार्य के लिए क्षमता विकसित करने की अपनी योजना बताई। धन्यवाद ज्ञापन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप सचिव ने विचारपूर्ण चर्चा के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और कहा कि यह दृष्टिकोण पहले की तुलना में अधिक संवादोन्मुख रहा है।

समग्र रूप से, श्रीनगर कार्यशाला ने राज्यों को सीएलएफ के प्रदर्शन पर विचार-विमर्श करने, समान संस्थागत कमियों की पहचान करने तथा एनएसएसएफ ढाँचे को व्यावहारिक राज्य-स्तरीय और सीएलएफ-स्तरीय कार्य योजनाओं में परिवर्तित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। परस्पर सीखने, साक्ष्य-आधारित आकलन, डिजिटल नियोजन और स्पष्ट रूप से निर्धारित जवाबदेही पर जोर देना, मजबूत, आत्मनिर्भर और समुदाय के स्वामित्व वाली ग्रामीण संस्थाओं के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

क्षमता को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए *(श्री आर. रवि नायडू, मिशन कार्यकारी – आईबीसीबी एवं एमआईएस (प्रभारी)* तथा श्री वेंकटेश्वर राव, मिशन प्रबंधक, आईबीसीबी-एसआईएसडी, एनआरएलएमआरसी, एनआईआरडीपीआर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई*)*

महुआ:भारत की छिपी हुई वन अर्थव्यवस्था

श्री यश दीवान
पीजीडीएम-आरएम, एनआईआरडीपीआर
yashdiwan133@gmail.com





महाराष्ट्र के अमरावती जिले के चिखलदरा ब्लॉक में अपनी इंटर्नशिप से पहले, मैंने महुआ के बारे में सुना था, जिसे जनजातीय समुदायों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले वन उत्पाद के रूप में जाना जाता है। मुझे पता था कि लोग महुआ के फूल एकत्र करते हैं और उन्हें कच्चे रूप में लगभग ₹40–50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगर उसी महुआ का प्रसंस्करण करके, पैकेजिंग कर और मूल्यवर्धित उत्पाद के रूप में बेचा जाए, तो क्या हो सकता है।

इसी दौरान मेरी मुलाकात शांता ताई से हुई, जो अपनी आजीविका के लिए महुआ के लड्डू बनाती हैं। वह अमरावती में 'उमेद' आउटलेट वैदर्भी के जरिए 'आकांक्षा' ब्रांड नाम से ये लड्डू बेचती हैं, जिनकी कीमत लगभग ₹300 प्रति 250 ग्राम है। इस काम से वह लाखों की कमाई करती हैं, जो कि मदकी जैसे छोटे से गांव की एक एसएचजी महिला के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

मेरे लिए यह एक आश्चर्यजनक अनुभव था। मैंने हमेशा महुआ को एक ऐसे वन उत्पाद के रूप में देखा था, जिसे एकत्र करके अपेक्षाकृत बहुत कम कीमत पर बेच दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक महिला उसी वन उत्पाद को एक बिल्कुल अलग उत्पाद में परिवर्तित कर रही थी, जिसका मूल्य कहीं अधिक था।

महुआ के लड्डुओं के साथ-साथ, शांता ताई शहद भी बेचती हैं, जिसकी कीमत लगभग 315 रुपये प्रति 250 ग्राम है। ऐसा करने वाली वह अकेली महिला नहीं हैं। शांता ताई के पास भारतीय पैकेजिंग संस्थान का प्रमाणपत्र भी है और उन्हें आधुनिक पैकेजिंग मशीनों की सुविधा भी उपलब्ध है।

हालाँकि, मूल्य संवर्धन उतना आसान नहीं है, जितना बाहर से देखने पर लग सकता है। किसी एक व्यक्ति के लिए आवश्यक निवेश काफी अधिक हो सकता है, जो संबंधित मशीन के आधार पर लगभग ₹3–5 लाख या उससे अधिक हो सकता है। लेकिन जब कोई पूरा समूह मिलकर इस गतिविधि को अपनाता है, तो यह बोझ अधिक प्रबंधनीय हो सकता है, और उमेद मशीनरी की लागत पर सब्सिडी के माध्यम से सहायता भी प्रदान करता है।

महुआ धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में प्रवेश कर रहा है

मुझे जो बात और भी दिलचस्प लगी, वह यह थी कि शांता ताई की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है।

मूल्य संवर्धित महुआ उत्पाद तेजी से औपचारिक खुदरा और ऑनलाइन बाजारों तक पहुँच रहे हैं। ट्राइब्स इंडिया (ट्राइफेड) अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से महुआ कुकीज़, लड्डू और महुआ चाय जैसे उत्पाद बेचता है। यूनिवर्सल ट्राइब्स महुआ जैम और महुआ-आधारित कॉम्बो पैक का विपणन करता है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स भी अपनी वेबसाइट और अमेज़न तथा ओएनडीसी जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस के माध्यम से महुआ का अचार, लड्डू, आरटीएस और चटनी जैसे उत्पाद उपलब्ध कराता है।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि महुआ धीरे-धीरे स्थानीय स्तर पर उपभोग किए जाने वाले वन उत्पाद से एक ब्रांडेड, पैकेज्ड और व्यावसायिक रूप से विपणन किए जाने वाले मूल्य-संवर्धित खाद्य उत्पाद के रूप में विकसित हो रहा है।

गोवा का एक ब्रांड डेसमंडजी भी है, जो महुआ से बनी मदिरा बेचता है। इस ब्रांड के बारे में मुझे सुगतो मुखर्जी द्वारा लिखे गए बीबीसी के एक लेख, "महुआ: द इंडियन लिकर द ब्रिटिश बैनड" को पढ़ते समय पता चला। यह लेख महुआ की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा और महुआ की मदिरा की लोकप्रियता को लेकर अंग्रेजों की चिंता के संबंध में एक रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

₹50 के कच्चे महुआ से मूल्य-संवर्धित उत्पादों तक

एक अन्य उदाहरण, जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, महाराष्ट्र के गोंदिया से संबंधित है।

महाराष्ट्र के सालेकसा स्थित उइके शिल्पग्राम में एक वन धन विकास केंद्र ने महुआ के 510 क्विंटल फूल एकत्र किए और उन्हें संसाधित करके महुआ रब, जैम और शरबत/जूस जैसे उत्पाद तैयार किए। ट्राइफेड के अनुसार, मूल्य संवर्धन के कारण कच्चे महुआ का बाजार मूल्य, जो लगभग ₹50 प्रति किलोग्राम था, बढ़कर प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए ₹100–150 प्रति किलोग्राम हो गया।

इससे महुआ के प्रति मेरी धारणा पूरी तरह बदल गई। अवसर हमेशा अधिक संग्रह करने में ही नहीं होता। कभी-कभी, अवसर उस उत्पाद का अधिक मूल्य संवर्धन करने में निहित होता है, जिसका पहले से ही संग्रह किया जा रहा है।

महुआ केवल एक आर्थिक अवसर से कहीं अधिक है

महुआ की संभावनाएँ उसके आर्थिक मूल्य से भी आगे तक जाती हैं।

मिश्रा और पूनिया (2019) ने न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस में प्रकाशित अपनी समीक्षा में बताया कि महुआ के फूल प्राकृतिक रूप से ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ और सुक्रोज़ से भरपूर होते हैं, जो खाद्य एवं पेय उत्पादों में उनके उपयोग का समर्थन करते हैं। सिंह एवं अन्य द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि महुआ के फूलों और फलों में पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं तथा प्रयोगशाला परीक्षणों में उनमें एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि देखी गई, जो कार्यात्मक खाद्य सामग्री के रूप में उनकी संभावनाओं का संकेत देती है।

इसी प्रकार, एट अल. (2020/2021) ने महुआ के फूलों और फलों में खनिजों, पॉलीफेनॉल तथा एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि का आकलन किया और उनमें मापने योग्य एंटीऑक्सीडेंट क्षमता तथा जैवसक्रिय यौगिकों की उपस्थिति की जानकारी दी। बखारा एवं अन्य द्वारा किए गए शोध में भी यह प्रदर्शित किया गया कि महुआ से RTS पेय, स्क्वैश, जैम, बार, लड्डू और केक जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जिन्हें उपभोक्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

इस प्रकार, जब हम उपलब्ध शोध और पहले से बनाए जा रहे उत्पादों पर नज़र डालते हैं, तो महुआ की संभावनाएँ काफी स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन इसके बाद एक बड़ा प्रश्न सामने आता है:

यदि महुआ में इतनी अधिक संभावनाएँ हैं, तो यह अभी तक पूरे भारत में लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ है?

वास्तव में हम कहाँ पीछे रह रहे हैं?

जब हम इन सभी बातों के बारे में पढ़ते हैं, तो सब कुछ काफी अच्छा लगता है। लेकिन यदि हम गंभीरता से विचार करें, तो महुआ अभी भी मुख्यतः अनौपचारिक अर्थव्यवस्था तक ही सीमित है, क्योंकि इसे अधिकतर कच्चे रूप में बेचा जाता है या स्थानीय स्तर पर इसका उपभोग किया जाता है। जिन ब्रांडों का मैंने उल्लेख किया है, उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है और महुआ को अभी तक पूरे भारत में व्यापक लोकप्रियता नहीं मिली है।

तो, वास्तव में हम कहाँ पीछे रह रहे हैं?
क्या यह विपणन का मुद्दा है?
क्या यह माँग की कमी है?
या फिर इसका कोई अन्य कारण है?

अपने शोध के दौरान स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं के साथ हुई बातचीत से उनकी सफलता के पीछे एक महत्त्वपूर्ण कारक सामने आया। वह है निरंतर कठिन परिश्रम करने की उनकी अद्भुत तत्परता। लोग अक्सर ऐसी गतिविधियों को अपनाने से डरते हैं, क्योंकि इनमें निवेश, मेहनत और अनिश्चितता शामिल होती है। लेकिन वे हमेशा यह नहीं समझ पाते कि इन गतिविधियों से कितने अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि किस

प्रकार थोड़े-से मूल्य संवर्धन से आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

इसके साथ ही, विपणन और मांग सृजन भी महत्त्वपूर्ण कारक हैं। जिला स्तर पर, मार्ट काफी अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन मैंने इसके कामकाज में कुछ विसंगतियाँ भी देखीं।

स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ आमतौर पर प्राप्त मांग के अनुसार ही उत्पाद तैयार करती हैं। लेकिन कभी-कभी मांग अधिक होने पर वे पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध न होने के कारण उसकी पूर्ति नहीं कर पाती हैं। उनके साथ बातचीत के दौरान मैंने इस प्रकार की कुछ अन्य अनियमितताएँ भी देखीं।

जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियाँ

समस्याएँ केवल विपणन तक ही सीमित नहीं हैं। स्थानीय और जनजातीय समुदायों को संग्रहण तथा मूल्य संवर्धन, दोनों ही चरणों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

संग्रहण के दौरान मौसमी उपलब्धता, अधिक श्रमसाध्य कटाई, भंडारण की अपर्याप्त सुविधाएँ, मोलभाव करने की सीमित क्षमता, बाजार तक सीमित पहुँच तथा स्थानीय व्यापारियों पर निर्भरता जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

मूल्य संवर्धन के चरण में समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रारंभिक निवेश की अधिक आवश्यकता, तकनीकी ज्ञान की कमी, कार्यशील पूंजी का अभाव, उपयुक्त मशीनरी की अनुपलब्धता, उत्पादन में निरंतरता का अभाव तथा गुणवत्ता और मानकीकरण बनाए रखने में कठिनाइयाँ।

विपणन और मांग सृजन की चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं, क्योंकि अनेक उपभोक्ता अभी भी महुआ-आधारित उत्पादों से भली-भाँति परिचित नहीं हैं। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्याएँ मूल्य संवर्धन में निवेश करने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की अनिश्चितता रहती है कि उनके उत्पादों की कितनी मांग होगी और उनसे कितना लाभ प्राप्त होगा।

अवसर पहले से ही उपलब्ध हैं

इन चुनौतियों के बावजूद, मेरा मानना है कि अवसर पहले से ही मौजूद है।

कुछ मंच इस दिशा में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं और शांता ताई जैसी महिलाएँ पहले से ही यह दिखा रही हैं कि क्या-क्या संभव है। अब हमें अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश, बेहतर बाज़ार सृजन और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अवसर का लाभ उठाने की दिशा में लोगों की रुचि एवं पहल की आवश्यकता है।

कभी-कभी लोग जोखिम उठाने के लिए तभी तैयार होते हैं, जब वे उसके परिणामों को अपनी आँखों से देख लेते हैं।

मेरे लिए, शांता ताई इसका एक सशक्त उदाहरण थीं।

मैं क्षेत्रीय भ्रमण पर इस सोच के साथ गया था कि महुआ केवल एक वन उपज है, जिसे जनजातीय समुदाय एकत्रित करके ₹40–50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं। लेकिन वहाँ से लौटते समय मैंने देखा कि इसी महुआ को किस प्रकार एक ब्रांडेड उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसकी कीमत 250 ग्राम के लिए ₹300 है। यह कच्ची वन उपज से मूल्यवर्धित उद्यम तक के सफर में एक उल्लेखनीय बदलाव है।

इस अनुभव ने मुझे यह एहसास कराया कि महुआ में संभावनाओं की कमी नहीं है। बल्कि, संभवतः इसकी वास्तविक क्षमता को साकार करने और महुआ को स्थानीय बाज़ारों से आगे ले जाने के लिए आवश्यक पहचान, निवेश और बाज़ार संबंधी सहयोग की कमी है।

प्रशिक्षण कक्ष से परे: भारत की ग्राम पंचायतों की क्षमता का पुनर्निर्माण

श्री ध्यानराज
पीएचडी शोधार्थी, एनआईआरडीपीआर



सामुदायिक दौरे के दौरान एक स्थानीय कारीगर से बातचीत करते हुए श्री ध्यानराज, पीएचडी शोधार्थी



क्षमता-निर्माण पहल के दौरान अधिकारियों और प्रतिभागियों के साथ श्री ध्यानराज, पीएचडी शोधार्थी, एनआईआरडीपीआर

अकोला की एक महिला सरपंच ने मुझसे कहा, “मैं अपने गाँव को तो समझती हूँ, लेकिन जब भी बजट, नियमों या सरकारी प्रक्रियाओं की बात आती है, तो मुझे गाँव के सचिव पर निर्भर रहना पड़ता है।” उनका यह बयान आज पंचायती राज के सामने मौजूद मुख्य दुविधाओं में से एक को दर्शाता है।

वह अनुभवहीन नहीं थी. वह अपने समुदाय की एकमात्र महिला थीं, जिन्होंने बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, एक दशक से अधिक समय तक अपने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से एक सूक्ष्म-नियोजन कार्यक्रम का प्रबंधन किया था, और केवल सामुदायिक विश्वास के बल पर चार पुरुष उम्मीदवारों को हराकर सरपंच की सीट जीती थी। फिर भी, निर्वाचित होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि प्रभावी नेतृत्व के लिए केवल आत्मविश्वास और समुदाय के साथ जुड़ाव पर्याप्त नहीं थे।

उनका अनुभव कोई अकेला उदाहरण नहीं है। पूरे भारत में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से स्थानीय सरकारों के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। फिर भी, उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए बनाई गई व्यवस्थाएँ क्षमता निर्माण को एक सतत संस्थागत प्रक्रिया के बजाय एक बार आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में ही देखती हैं।

संख्याओं का लोकतंत्र, क्षमता का नहीं

73वें संविधान संशोधन के तीन दशक बाद, भारत ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक का निर्माण किया है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में तीस लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग आधी महिलाएँ हैं और एक बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों से आती है। चुनावों में आरक्षण ने स्थानीय नेतृत्व के लिए अभूतपूर्व अवसर खोले हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व, चाहे वह कितना भी ऐतिहासिक

क्यों न हो, अपने आप में ग्राम पंचायत के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय और नेतृत्व संबंधी क्षमता सुनिश्चित नहीं करता।

प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को जिन दोहरी भूमिकाओं के बीच संतुलन स्थापित करना होता है, उन पर विचार कीजिए। एक नेता के रूप में, उसे समुदाय की विविध और अक्सर परस्पर प्रतिस्पर्धी आकांक्षाओं को समझना होता है तथा पंचायत के सीमित संसाधनों के भीतर निवासियों को उनके हक और अधिकार प्राप्त करने में सहायता करनी होती है, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। एक प्रबंधक के रूप में, उसे बजट, योजना संबंधी दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं और सार्वजनिक धन के उपयोग को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाओं का व्यावहारिक ज्ञान भी रखना होता है। बहुत कम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ऐसे हैं, जिन्हें इन दोनों प्रकार की क्षमताओं का एक साथ विकास करने के लिए तैयार किया गया है।

दाँव तेजी से बढ़ रहे हैं। सोलहवें वित्त आयोग ने 2026–31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 4.35 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश की है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण रूप से, इस अनुदान का एक हिस्सा निष्पादन-आधारित है:पंचायतों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व जुटाएँ, लेखे-जोखे का रखरखाव करें, लेखापरीक्षा संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करें और संस्थागत निष्पादन का प्रदर्शन करें। वस्तुतः, उनसे जवाबदेह स्थानीय सरकारों के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जा रही है–ऐसा दायित्व, जिसके लिए उन क्षमताओं का होना आवश्यक है, जिन्हें अनेक ग्राम पंचायतें, विशेषकर गरीब, दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों की पंचायतें, अभी भी विकसित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

प्रशिक्षण-कक्ष मॉडल क्यों अपर्याप्त साबित होता है

क्षमता निर्माण का प्रचलित मॉडल विकेंद्रीकरण के इस नए चरण के अनुरूप नहीं है। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आमतौर पर ब्लॉक या जिला स्तर पर आयोजित कुछ प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेते हैं, जिनमें योजनाओं, आधिकारिक निर्देशों, रिपोर्टिंग प्रारूपों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके विपरीत, सहभागी नियोजन, ग्राम सभा के संचालन, वित्तीय निर्णय लेने, लैंगिक उत्तरदायी शासन, सामुदायिक लामबंदी अथवा अनिश्चितता की स्थिति में समस्या-समाधान जैसे विषयों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है–जबकि यही वे दक्षताएँ हैं, जो यह निर्धारित करती हैं कि कोई पंचायत केवल नियमों का अनुपालन करती है या वास्तव में शासन भी करती है।

जब तक निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थागत संबंधों और प्रक्रियाओं को आत्मसात करना शुरू करते हैं, तब तक उनका पाँच वर्ष के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बीत चुका होता है। व्यवहार में, अनेक प्रतिनिधि निधि जारी करने और लाभ हस्तांतरण जैसे नियमित कार्यों के लिए भी पंचायत सचिवों और ब्लॉक-स्तरीय पदाधिकारियों पर निर्भर हो जाते हैं। ये अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों की निगरानी में पंचायत के अधिदेश को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनका कार्य भी प्रशासनिक अनुपालन, योजना-लक्ष्यों और रिपोर्टिंग के दबाव से प्रभावित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की नेतृत्वकारी भूमिका पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाती और कठोर, सीमित दायरे वाले कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देशों के बोझ तले दब जाती है।

क्षमताओं का निर्माण, संस्थाओं का निर्माण:क्षेत्रीय अनुभवों से प्राप्त सीख

ग्राम पंचायत शासन और आपदा-सहनशीलता पर मेरा क्षेत्रीय अध्ययन–जो पालघर जिले के तलासरी ब्लॉक की वेवाजी ग्राम पंचायत तथा मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त तालुकों में किया गया–एक अलग दृष्टिकोण से इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करता है: क्षमता निर्माण तभी सार्थक होता है, जब वह प्रशिक्षण कक्ष से आगे बढ़कर दैनिक शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग बन जाता है।

मराठवाड़ा में सूखे की तैयारी और जल सुरक्षा पर सहभागी नियोजन संबंधी अभ्यासों के दौरान ऐसी चिंताएँ सामने आईं, जो बुनियादी ढाँचे से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। जिस प्रकार शौचालय का निर्माण हो जाने मात्र से उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं होता, अथवा जलापूर्ति योजना स्थापित हो जाने मात्र से उसका रखरखाव सुनिश्चित नहीं होता, उसी प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के माध्यम से स्वीकृत आपदा-सहनशीलता संबंधी निवेश से केवल किसी संरचना के अस्तित्व में आ जाने भर से आपदा-सहनशीलता सुनिश्चित नहीं होती। एक चेक डैम, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अथवा आश्रय स्थल के लिए निरंतर स्थानीय निगरानी, अभ्यास, रखरखाव हेतु निधि और–सबसे बढ़कर–ऐसी ग्राम पंचायत की आवश्यकता होती है, जो व्यापक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की व्यवस्था के अंतर्गत अपनी भूमिका को समझती हो।

यहीं पर समन्वय का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ग्राम पंचायतों से औपचारिक रूप से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जीपीडीपी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को शामिल करें। फिर भी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और ग्राम पंचायत के बीच संस्थागत संबंध प्रायः कमजोर, प्रक्रियात्मक और निरंतर बने रहने के बजाय छिटपुट होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को शायद ही कभी जोखिम मानचित्र को समझने, ग्राम पंचायत विकास योजना की वित्तीय सीमाओं के अनुरूप शमन योजना की गतिविधियों का क्रम निर्धारित करने अथवा आपदा जोखिम न्यूनीकरण निधियों और अन्य योजनागत मदों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बातचीत करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कौशल भी उतने ही शासन-संबंधी कौशल हैं, जितने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता सुनिश्चित करने या बातचीत करने के कौशल हैं।

ये केवल तकनीकी नहीं, बल्कि शासन-संबंधी चुनौतियाँ हैं। इनका समाधान केवल तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं किया जा सकता; ग्राम स्तर के नेताओं को सहभागिता सुनिश्चित करने, बातचीत करने, जोखिम संबंधी जानकारी संप्रेषित करने और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए निरंतर सहयोग की आवश्यकता है।

सुधार के लिए पाँच प्रमुख मार्ग

क्षमता निर्माण को केवल एक आयोजन तक सीमित न रखकर संस्थान निर्माण की प्रक्रिया के रूप में विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत के आसपास के पूरे तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसमें पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, जल एवं स्वच्छता समितियाँ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), युवा स्वयंसेवक और स्थानीय तकनीकी सेवा प्रदाता शामिल हैं। इस दिशा में पाँच प्रमुख प्राथमिकताएँ सामने आती हैं।

1. उच्च गुणवत्ता वाली एवं संदर्भानुकूल प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना: नागरिक समाज संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को पंचायत ज्ञान केंद्रों के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए तथा उन्हें स्थानीय भाषाओं में व्यावहारिक पुस्तिकाएँ, वीडियो, केस स्टडी, आदर्श ग्राम सभा कार्यसूचियाँ और वित्तीय निर्णय संबंधी उपकरण तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इन सामग्रियों को सफलता, बाधाओं अथवा विफलताओं से संबंधित जमीनी स्तर पर प्राप्त नए साक्ष्यों के आधार पर निरंतर अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार, विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर ऐसी व्यवस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए, जो संसाधनों और स्वायत्तता के साथ-साथ अंतर्निहित जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत वित्तपोषण करने वाली संस्थाएँ तथा अन्य दानदाता इन केंद्रों को सहयोग प्रदान करने के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं।

2. पंचायतों के लिए एआई और डिजिटल साक्षरता में निवेश करें: निर्वाचित प्रतिनिधियों को बहुभाषी, एआई-सक्षम परामर्श प्रणालियों की आवश्यकता है, जो व्यावहारिक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हों, जैसे: क्या इस अनुदान का उपयोग पेयजल प्रणाली की मरम्मत के लिए किया जा सकता है? लेखा-परीक्षा के लिए कौन-से अभिलेख आवश्यक हैं? ग्राम सभा का संकल्प किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए? उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण के लिए कौन-सी प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं? मानव सत्यापन के साथ संयुक्त बहुभाषी चैटबॉट ऐसी मार्गदर्शिका को अधिक सुलभ बना सकता है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सीमाओं तथा एआई द्वारा उत्पन्न जानकारी को प्रामाणिक स्रोतों से सत्यापित करने की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए।

3. पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत समन्वय को बढ़ावा दें: जैसे-जैसे पंचायतें सार्वजनिक परिसंपत्तियों और सेवाओं के लिए अधिक जिम्मेदारियाँ ग्रहण कर रही हैं, वैसे-वैसे पूरी पंचायत टीम—केवल सरपंच ही नहीं—की क्षमता का संयुक्त रूप से विकास किया जाना आवश्यक है। तकनीकी समझ, खरीद संबंधी कौशल, शुल्क संग्रहण प्रणालियों तथा प्रशिक्षित स्थानीय मानव संसाधनों के अभाव में आधारभूत संरचना कागज़ों पर तो मौजूद हो सकता है, लेकिन व्यवहार में सेवाएँ अविश्वसनीय बनी रह सकती हैं।

4. केवल आधारभूत संरचना में ही नहीं, बल्कि संस्थागत क्षमता में भी विवेकपूर्ण ढंग से सीएसआर निवेश करें: पिछले दो दशकों में, सीएसआर निधि के माध्यम से ग्रामीण भारत में विद्यालयों, पेयजल प्रणालियों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आजीविका, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा सामुदायिक आधारभूत संरचना को सहायता प्रदान की गई है और ऐसी अनेक पहलों से उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल विकसित हुए हैं। फिर भी, सीएसआर परियोजनाएँ सामान्यतः कार्यान्वयन की समानांतर प्रणालियाँ स्थापित करती हैं, इस धारणा के आधार पर कि ग्राम पंचायतों में स्वयं योजना बनाने, खरीद संबंधी कार्य करने, निगरानी करने तथा निवेश को बनाए रखने की क्षमता का अभाव है। इससे अल्पावधि में अच्छी

परिसंपत्तियाँ तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन इससे मूल संस्थागत क्षमता शायद ही कभी सुदृढ़ हो पाती है।

5. केवल आधारभूत संरचना ही नहीं, बल्कि संस्थागत क्षमता में भी विवेकपूर्ण ढंग से सीएसआर निवेश करना: पिछले दो दशकों में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत प्राप्त वित्तपोषण से पूरे ग्रामीण भारत में विद्यालयों, पेयजल प्रणालियों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आजीविका के साधनों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक आधारभूत संरचनाओं को सहयोग मिला है तथा ऐसी कई पहलों ने उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल विकसित किए हैं। फिर भी, सीएसआर परियोजनाएँ आमतौर पर कार्यान्वयन की समानांतर व्यवस्थाएँ स्थापित करती हैं। इसके पीछे यह धारणा होती है कि ग्राम पंचायतों में स्वयं योजना बनाने, खरीद संबंधी कार्यों को पूरा करने, निगरानी करने और निवेश को बनाए रखने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। इससे अल्पकाल में अच्छी परिसंपत्तियों का निर्माण तो हो सकता है, लेकिन इससे शायद ही कभी संबंधित संस्था की मूलभूत क्षमता सुदृढ़ हो पाती है।

अधिगम की संरचना

क्षमता निर्माण शासन के कार्यों के साथ जोड़ी जाने वाली कोई गौण गतिविधि नहीं है। यह वह अदृश्य आधारभूत संरचना है, जो निर्धारित करती है कि सार्वजनिक निवेश से स्थायी परिणाम प्राप्त होंगे या नहीं। भारत ने विकेंद्रीकरण की संरचना के निर्माण में व्यापक निवेश किया है–संवैधानिक सुधार, नियमित चुनाव, वित्तीय अंतरण और डिजिटल मंच। सुधारों की अगली पीढ़ी में अधिगम की संरचना में भी उतनी ही गंभीरता से निवेश किया जाना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र के अकोला की सरपंच और पूरे महाराष्ट्र तथा देश में उनके जैसी हजारों महिला सरपंचों को अब अपनी सामुदायिक विश्वसनीयता और शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपनी कार्यकुशलता के बीच किसी एक को चुनने के लिए विवश न होना पड़े।



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। यूएन-एस्कैप के उत्कृष्टता केंद्रों में से एक के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यह संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श की परस्पर संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों, पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, एनजीओ तथा अन्य हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करता है। यह संस्थान तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में स्थित है। एनआईआरडीपीआर ने वर्ष *2008* में अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। हैदराबाद स्थित मुख्य परिसर के अतिरिक्त, इस संस्थान का एक उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी, असम में, एक शाखा नई दिल्ली में तथा एक करियर मार्गदर्शन केंद्र वैशाली, बिहार में स्थित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF RURAL
DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030
दूरभाष: (040) 24008473, फैक्स: (040) 24008473
ई-मेल: : CDC.NIRD@GOV.IN, वेबसाइट:
WWW.NIRDPR.ORG.IN

सुश्री रोहिणी आर. भाजीभाकरे, आईएएस उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर
सहायक संपादक: कृष्णा राज के. एस.
अपर्णा वी. आर
मुखपृष्ठ डिजाईन: वी. जी. भट्ट

प्रकाशित:
प्रो. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीजीएस एवं डीई
एनआईआरडीपीआर,
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

